कार्यालय
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– [illegible] / परिषद / [illegible] / 2019 / [illegible] — [illegible] दिनांक [illegible]

—कार्यालय ज्ञाप—

[illegible]

[illegible]

"[illegible] 2018–20 हेतु [illegible] द्वारा अनुमोदित प्रदान किया गया है, परंतु [illegible] द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त [illegible] द्वारा अनुमोदित [illegible] के अनुसार सत्र 2018–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, की संख्या में समिति द्वारा निरस्त–निरस्त किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को [illegible] अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात ही प्रवेश प्रदान करें। समिति के समक्ष में बैठक आयुक्त कर दी जाने वाली [illegible] संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान परिषद द्वारा कार्यालय कार्यालयों से सम्बन्धित [illegible] के संस्थाओं [illegible]।"

[illegible] द्वारा [illegible] समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार [illegible] 2018–20 हेतु निम्नवत [illegible] हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्रा०शि०/प०शि० सम्बद्धता/2020/[illegible]   लखनऊः दिनांकः 14-8-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु [illegible] संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सचिव कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु [illegible] संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि [illegible] पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के [illegible] में, डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

"डिप्लोमा स्तर में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] विनियमावली-2019 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क [illegible] रु० [illegible]/- [illegible] रु० [illegible]/- [illegible] से अधिक शुल्क छात्र/छात्रा से ग्रहण किया जायेगा। [illegible] छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

क्रमांक- [illegible]/[illegible]/[illegible]/ [illegible] [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि- [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]